(४) कर-अपवंचकों के छिपाये हुये धन का पता लगाने के लिये 'कर-अपवंचक ऋण' का जारी किया जाना।

याचिकाओं के सम्बन्ध में विवरण

हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या	जिला या नगर	राज्य	याचिकाओं की संख्या
१	दिल्ली	दिल्ली	३०
१	जिला कोयम्बटूर	मद्रास	३१
२७०१	सरायकेला	बिहार	३२
१	दिल्ली	दिल्ली	३३

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बंध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सभा को विदित है कि गत १५ मई को यहां अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर हुई चर्चा के पश्चात् बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। सामान्यतः इनसे हमारा सम्बन्ध है और इनमें हमारी अभिरुचि है इन घटनाओं और बातों में से कुछ का हमारे साथ अधिक निकट सम्बन्ध है। और कुछ में हमारी भावनाएं तथा इतिहासिक परिस्थितियां सन्निहित हैं अन्य बातों में या तो हम ग्रस्त हैं या उनसे हमारा यही सम्बन्ध है कि हम उनमें ग्रस्त होने से बचना चाहते है और कुछ मामलों में हमने अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों, शान्ति के लिए चिन्ता के भाग के रूप में भारी बोझ और कष्टसाध्य उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर ले लिया है।

मेरी यह इच्छा नहीं है कि इन सब विषयों की ओर निर्देश करूं या उनमें से किसी के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहूं, परन्तु मैं तुलनात्मक दृष्टि से एक संक्षिप्त वक्तव्य में इन समस्याओं और घटनाओं में से कुछ के सम्बन्ध में सरकार के विचार और उसकी स्थिति बताना चाहता हूं।

भारत में पुर्तगाली बस्तियों की स्थिति ऐसी है जिस पर सभा और देश का ध्यान लगा हुआ है और बहुत चिन्ता प्रकट की जा रही है, और जिस पर सरकार ने निरन्तर सक्रिय रूप से विचार तथा जिसका गम्भीर अध्ययन किया है। पुर्तगाली बस्तियों में विदेशी तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आन्तरिक विरोध तथा रोष ने ज़ोर पकड़ लिया है। यह सर्वथा गोआ का लोकप्रिय तथा स्वदेशी आन्दोलन है। प्राधिकारियों ने औपनिवेशिक आतंक, दमन तथा हिंसात्मक कार्यवाही के साथ-साथ लोगों को स्वतन्त्रता और आत्मनिर्णय के मूल अधिकार न देने के पुराने परन्तु निन्दनीय ढंगों की अपनाया है।

भारत सरकार और इस देश के लोगों की स्थिति का निस्संदेह सब को अली प्रकार पता है और उसे पुनः बताने की आवश्यकता नहीं। भारत संघ और गोआ एक ही देश है। विदेशियों की विजय के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भाग औपनिवेशिक शासन के अधीन आ गये। तत्पश्चात् ऐतिहासिक घटनाचक्र के फलस्वरूप लगभग सारा देश ही अंग्रेजों के शासन के अधीन आ गया। परन्तु

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

केवल इस कारण कि उस समय की अंग्रेज़ी सत्ता में कुछ अन्य विदेशी शक्तियों द्वारा शासित कुछ छोटी घिरी हुई औपनिवेशिक बस्तियों को सहन कर लिया इसलिए वे बनी रहीं। भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन देश के किसी एक भाग तक सीमित नहीं था इसका उद्देश्य सारे देश को सभी प्रकार की विदेशी परतन्त्रता के बन्धनों से मुक्त कराना था अनिवार्यतः इस आन्दोलन को ब्रिटिश भारत में गति मिली और अन्ततः उसका परिणाम यह हुआ कि औपनिवेशिक सत्ता यहां से चली गई और भारत में गण-राज्य की स्थापना हुई। वह स्वतन्त्रता आन्दोलन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि शेष छोटी छोटी विदेशी बस्तियां औपनिवेशिक शासन से मुक्त नहीं हो जातीं। अतः इस देश की सरकार तथा लोगों को गोआ के लोगों की अपने आपको विदेशी शासन से मुक्त कराने और मातृभूमि से पुनः मिलने की महत्वाकांक्षाओं के प्रति पूरी सहानुभूति है।

हमने भारत में भी अंग्रेजी शासन के अधीन जिस नीति का अनुसरण किया था वह अहिंसा की नीति है, और हमने अपने आन्दोलन और व्यवहार को तदनुसार बनाया है। अहिंसा के प्रति दृढ़ भाव का अभिप्राय है :

(१) कि हम पुर्तगाली शासन के अधीन अपने देश-भाइयों के प्रति अपनी सहानुभूति को न तो छोड़ें और न ही उसमें कोई कमी आने दें; और

(२) इसके साथ ही हम न तो हिंसात्मक कार्यों को अपनाएं अथवा उनका समर्थन करें और न ही जान बूझ कर हिंसात्मक स्थिति पैदा होने दें।

हम ऐसा समझते हैं और अपनी स्थिति को इस तथ्य पर आधारित करते हैं कि यह स्वातन्त्र्य आन्दोलन गोआ निवासियों का है और स्वतः-स्फूर्त है और इसकी वास्तविक शक्ति इसी तथ्य में निहित है।

भारत सरकार को और मुझे यह विश्वास है कि हमारे अधिकांश लोग ऐसी नीति या ढंगों को नहीं अपनाना चाहते जिनमें इन सिद्धान्तों की अवहेलना हो जो सिद्धान्त हमारे राष्ट्र की आधारशिला हैं और जो हमें अपने स्वतन्त्रता के नेताओं और गांधी जी से ऐतिहासिक और अपूर्व बपौती के रूप में मिले हैं।

इसके अतिरिक्त हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि हमें अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन और प्रयत्नों में यही आदेश दिया जाता था कि हम भय को सर्वथा भगा दें। मैं बिल्कुल सच्चाई से यह कह देना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में आतंक के कारण या किसी भी ओर से दी गई धमकियों के सम्भव परिणामों के भय से कोई कार्य न तो करती है और वे ही करेगी और भय के कारण अपनाय गये व्यवहार के ढंगों का समर्थन करना या अनुमति देना तो एक ओर रहा, उसे क्षमा भी नहीं करेगी। ऐसे ढंग हमारी नीति के विरुद्ध हैं और अहिंसा के मूल आदर्श के प्रतिकूल हैं।

पुर्तगाली सरकार ने हमारे ऊपर अंधाधुंध आरोप लगाये हैं और हमें जी भर कर गालियां दी हैं। जिनकी शक्ति का आधार पाशविक शक्ति होती है स्वभावतः वे भीरु होते हैं, अतः उन्होंने भयभीत हो कर लोगों को डराने के लिए भारत में अपनी बस्तियों में सेनएं एकत्र कर ली हैं। उन्हें यह तो भली प्रकार विदित है कि वे हमें नहीं डरा सकते।

तो भी भारत सरकार यह नहीं चाहती कि वह उत्तेजित होकर सैनिक कार्यवाही की बात सोचे और करे। पुर्तगालियों का सैन्य

संग्रह और जहाज़ों का आना-जाना हमारे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। हम उन पर विचार और उनकी जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार वैध कार्यवाही करेंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में हम पुर्तगाली सरकार के उदाहरण का अनुकरण नहीं करना चाहते।

पुर्तगाली सरकार ने हमें और अन्य देशों को जो अभ्यावेदन भेजे हैं उनमें और अपने मिथ्या प्रचार में भी हम पर सर्वथा झूठे और अंधाधुंध आरोप लगाय हैं। इन सब बातों का उद्देश्य यही है कि हमें सैनिक आक्रमणकारी, ईसाई विरोधी, विशेषतः कथोलिक विरोधी और अच्छाइयों का दिखावा करने वाले साम्राज्यवादी का रूप देकर हमारे विरुद्ध जनमत भड़काया जाये। वे अन्य लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं। कि हमारी इच्छा गोआ को भारतीय उपनिवेश बनाने की है।

पुर्तगाली बस्तियों के लोगों ने स्वयं इन आरोपों को झुठला दिया है, यद्यपि वहां एक निरंकुश शासन, दमन, निर्वाचन और राज्य द्वारा नियंत्रित प्रचार है। तो भी गोआ का स्वातन्त्र्य आन्दोलन निरंतर जोर पकड़ रहा है और उस की मात्रा को पुर्तगालियों की हिंसा में वृद्धि और अत्यधिक आरोपों और प्रचार से लाया जा सकता है। गोआ से बाहर रहने वाले गोआ के लोगों ने, जो मुख्यतः भारत और पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं, इस आन्दोलन का समर्थन किया है। उन्हों ने मांग की है कि विदेशी शासन समाप्त होना चाहिये और गोआ को मातृभूमि से मिल जाना चाहिये। पुर्तगालियों ने जो यह आरोप लगाये हैं कि भारत रोमन कैथोलिकों का शत्रु है और यदि गोआ भारत संघ में मिल गया तो कैथोलिकों को बहुत खतरा होगा, इन आरोपों का भारत के रोमन कैथोलिकों और विशेषतः उन के विख्यात नेताओं ने जोरदार खण्डन किया है। भारत के कैथोलिक पुर्तगालियों के आरोपों को न केवल झूठा समझते हैं, वरन् उन्हें अपने और अपने देश के लिए एक कलंक मानते हैं। वे भारत के ५० लाख कैथोलिकों की ओर निर्देश करते हैं जिन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है और जिन्हें अपने शेष देश-भाइयों का आदर और मान प्राप्त है। वे जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रत्याभतियां वास्तविक हैं। हाल ही में बम्बई में गोआ निवासियों की एक बहुत बड़ी सभा में, जिसमें सभी विचार धाराओं के ऐसे लोग थे जो अधिकतया मतवादी और दलवादी नहीं थे, इस भावना को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त किया गया और पुर्तगाली आरोपों के झूठ का भंडा फोड किया गया।

मझे इस बात पर अत्यधिक खेद है कि पुर्तगाली सरकार ने अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों के हेतु धार्मिक द्वेष-भाव की भड़काने का निर्णय किया है। वे इस प्रयास में असफल हुए हैं।

मैं इस अवसर पर एक बार फिर गोआ के सम्बन्ध में जब वह भारत संघ का भाग बन जायगा, अपने मूल दृष्टिकोण की कुछ बातें बताना चाहता हूं:—

(क) भारत के संविधान में जो स्वतन्त्रता और अधिकार प्रत्याभूत हैं और जिनमें व्यक्तिक स्वतन्त्रता और उपासना तथा धार्मिक कार्यों की स्वतन्त्रता का विशेष रूप से उल्लेख है वे तथा उनके सब अर्थ इन क्षेत्रों पर भी लागू होंगे।

(ख) इतिहास द्वारा जो विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक, और भाषा सम्बन्धी तथा एक क्षेत्र के लोगों में इकट्ठे रहने की भावना का निर्माण हो गया है, उनका आदर किया जायगा।

(ग) जो विधियां और प्रथाएं इन क्षेत्रों के सामाजिक जीवन का अंग हैं और मूल मानव अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के अनुकूल

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

हैं उनका आदर किया जायगा और उनमें रूपभेद केवल वार्तालाप और अनुमति द्वारा किये जायंगे ।

(घ) जैसा हमने शेष भारत में प्रशासन न्यायिक और अन्य सेवाओं का पूरा प्रयोग किया है वैसा ही इन का प्रयोग किया जायगा और यह विश्वास है कि इन क्षेत्रों की स्वतन्त्रता प्राप्ति और इनके मातभमि के साथ मिल जाने से लोगों की प्रगति और आकांक्षाओं के अनुरूप समन्वय हो सकेगा ।

सभा को विदित है कि हाल ही में पुर्तगाल सरकार और भारत सरकार के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है । यह सदन पटल पर रख दिया गया है । इन पत्रों से स्पष्ट हो जायगा कि भारत सरकार ने दृढ़ता, स्पष्टता और संयम के साथ तथा पुर्तगालियों के पत्रों के विषय अथवा भाषा से बिना उत्तेजित हुए अपनी स्थिति को व्यक्त किया है । सरकार को विश्वास है और निश्चय है कि सभा उसकी इस बात से सहमत होगी और यह स्वीकार करेगी कि सरकारों के बीच इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिय । मैं इन पत्रों के आदान-प्रदान पर विस्तार से टीका-टिप्पणी नहीं करूंगा और केवल इतना कहूंगा कि भारत सरकार ने समझौते और वार्तालाप द्वारा मतभेदों को निपटाने और समस्याएं हल करने की अपनी नीति के अनुसार निष्पक्ष प्रेक्षण के मामले में पुर्तगाली सरकार को सहयोग देने के सम्बन्ध में उनके पहले ही प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया । भारत सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे कुछ छिपाना नहीं है । उसने प्रस्ताव किया है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को तुरन्त मिलना चाहिये और जिस सिद्धान्त पर वे सहमत हुए हैं उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये । पुतगाली सरकार के अन्तिम पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ और शंकाएं और कठिनाइयां व्यक्त की हैं, परन्तु भारत सरकार ने उन्हें समझौते और वार्तालाप को जारी रखने की अपनी दृढ़ इच्छा से अवगत कर दिया है और पुर्तगाल सरकार से अनुरोध किया है कि सम्मेलन आरम्भ किया जाय ।

मैं अपने देश और सरकार की ओर से यह कह देना चाहता हूं कि हमारा पुर्तगाल और वहां के लोगों के प्रति कोई शत्रुभाव नहीं है । हमें विश्वास है कि गोआ निवासियों की स्वतन्त्रता जो पुर्तगाल प्रदान कर सकता है, पुर्तगाल के लिए ही श्रेयस्कर होगी । हम समझौते और वार्तालाप के पथ पर धैर्य और दृढ़ता से बढ़ते रहेंगे । इसके साथ ही मुझे यह घोषित करना है कि आज हम अपने इतिहास को झुठलायेंगे और स्वतन्त्रता के उद्देश्य को भी धक्का पहुंचायेंगे यदि हमने बिना किसी दुख के यह न कहा कि हमारे देश और सरकार का यह दृढ़ और पूर्ण विश्वास है कि गोआ में हमारे देश भाइयों को अपने आपको विदेशी शासन से मुक्त करने का तथा शेष मातृभूमि के साथ मिल जाने का पूरा अधिकार है । इससे मैत्रीभाव और स्नेह सम्बन्ध बढ़ेंगे जिस प्रकार भारत की स्वतन्त्रता ने भारत और इंग्लैण्ड के बीच मैत्री के सम्बन्ध स्थापित कर दिये हैं । अतः हम पुर्तगाल सरकार को निमन्त्रण देते हैं कि वे इन प्रयासों को शान्ति पूर्वक पूर्ण करने में सहयोग दें ।

यह प्रसन्नता की बात है कि आज फ्रांसीसी बस्तियों की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न और अधिक आशाजनक है । मुझे विश्वास है कि हमारा यह अनुभव करना उचित है कि हम समझौते और सहमति द्वारा एक ऐसे शान्तिपूर्ण और स्थायी समझौते की अपनी आशाओं को पूरा करने वाले हैं, जो सब सम्बन्धित दलों के लिए सम्माननीय और सन्तोषजनक

होगा। हमारे और फ्रांस सरकार के बीच कुछ समय से विचारों का आदान-प्रदान ही रहा है और वह दोनों ओर से सद्भाव सहित चल रहा है। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने विश्व को अपनी देशभक्ति तथा राजनैतिक साहस और वार्तालाप द्वारा शान्तिपूर्ण समझौते के लिए अपनी इच्छा दिखा दी है। मुझे पूरी आशा है कि हम शीघ्र ही इस समस्या की ऐसे ढंग से हल कर सकेंगे जिससे हमारे लोगों को पूरी स्वतन्त्रता मिल जायेगी और भारत तथा फ्रांस के बीच दृढ़ मैत्री स्थापित हो जायेगी।

इस समस्या की वर्तमान स्थिति जैसा मैंने बताया, आशाजनक है, परन्तु यह सादा ऐसी नहीं रही। हमारा धैर्य और वार्तालाप द्वारा समझौता करने की हमारी इच्छा फलीभूत हुई है। मैं सभा से यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि अपने सिद्धान्तों के अनुसार और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की इस नीति से हम अपने प्रति न्याय करते हैं और इसका फल भी मिलता है।

इन दो मामलों के पश्चात जो भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से हमारे बहुत समीदस्य हैं; मैं सभा का ध्यान अन्य मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमारे लिए कम महत्व के नहीं हैं और जिनमें हम अधिक फंसे हुए हैं तथा जिनके लिए हम अधिक वचनबद्ध हैं। मेरा अभिप्राय इस वर्ष अप्रैल से जुलाई तक जेनेवा में होने वाले दो सम्मेलनों से है। इन दोनों सम्मेलनों का सम्बन्ध एशिया के देशों और लोगों से था। परन्तु सम्मेलन में भाग लेन वाले मुख्य राष्ट्र सिवाय चीन के महत्वपूर्ण अपवाद के—एशियन नहीं थे इससे आधुनिक विश्व की वास्तविकता का कुछ आभास मिलता है कि किस प्रकार विश्व में प्रादेशिक, जातीय और राजनैतिक असंतुलन है। इससे हम यह भी अनुभव कर सकते हैं कि हम आज विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं पर केवल एशियन अथवा यूरोपियन, पूर्वी अथवा पश्चिमी समस्याओं के रूप में निर्णय करना तो अलग रहा विचार भी नहीं कर सकते। उनका हल इस बात में है कि आधुनिक संसार में एशिया के स्थान को माना जाये।

जेनेवा में कई प्रकार से यह स्पष्ट हो चुका है। पहले तो यह कि दोनों सम्मेलनों में चीन उपस्थित था और वहां अपनी उपस्थिति से उसने न केवल यही स्पष्ट कर दिया कि तथ्यों को मानना अनिवार्य है बल्कि यह भी कि ऐसी मान्यता कोई अभीष्ट है।

दूसरे हिन्दचीन विषयक सम्मेलन में जेनेवा में हुई विचार विनिमय पर कोलम्बो में दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रधान मन्त्रियों के विचार-विनिमय का बहुत और अनिवार्य प्रभाव पड़ा चाहे इनमें से किसी देश ने जेनेवा में भाग नहीं लिया। कोलम्बो हिन्द चीन सम्बन्धी प्रस्ताव अधिकांशतया इसी प्रकार के प्रस्तावों पर आधारित थे जो कि कुछ समय पूर्व इस सभा में प्रस्तुत किये गये थे और उनकी रचना में कुछ रूपभेद करने पर वे मेरे साथी प्रधान मन्त्रियों को पसन्द आ गये।

कोरिया सम्बन्धी सम्मेलन बिना किसी परिणाम पर पहुंचे स्थगित हो गया परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि सम्मेलन भंग नहीं हुआ है। एशिया और विश्व की स्थिरता व शान्ति के लिये कोरिया की समस्या का हल आवश्यक है। यह बात निरर्थक नहीं है कि जेनेवा में कोई भी पक्ष इस बात के लिये तैयार न था कि सम्मेलन का अन्त दुःखदायक हो या औपचारिक हो। जिन राज्यों के प्रतिनिधि वहां थे उनमें से अधिकतर यह चाहते थे कि कम से कम कोई आंशिक हल ही निकल आये और इसके लिये उन्होंने यत्न भी किया। वहां प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में प्रगति के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चिन्ह और समझौते के लिये चिन्ता दिखाई देती है। वे एक प्रकार का पुल का सिरा-सा बन सकते हैं जहां से कोरिया के समझौते के तटों पर पहुंचने की आशा की जा सकती है। जेनेवा सम्मेलन को व्यपगत नहीं होने देना चाहिये। कोरिया में शान्ति स्थापित करने में प्रगति के लिय यत्न जारी रहने चाहियें।

जेनेवा में हिन्द-चीन सम्मेलन को अधिक महत्व मिला। इस सम्लेलन का एतिहासिक महत्व यह है कि यदि यह सफल न होता तो तृतीय महायुद्ध का खतरा पैदा हो जाता। हिन्द-चीन सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन की इस विशेषता के कारण यह इतिहास में स्मरणीय रहेगा।

सम्मेलन के दोनों सभापतियों श्री ईडन और श्री मोलोतोव की मध्यस्थता और सब झगड़ों तथा गत्यवरोधों के होते हुए भी जेनेवा में सबकी यह तीव्र इच्छा थी कि समझौता हो जाय और युद्ध न हो।

सम्मेलन के दोनों सभापतियों के अतिरिक्त चीन के प्रधान मन्त्री ने, जिनका हमें भी अपने देश में स्वागत करने का अवसर मिला था एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी धाक जमा ली। उन्होंने सम्मेलन में नये एशिया की वास्तविकता के भाव साकार रूप में व्यक्त किया। एसा प्रतीत होता है कि उनकी भारत यात्रा से उन्हें चीन से बाहर के एशिया को समझने और दक्षिण पूर्वी एशिया की सामूहिक शान्ति का जो नया रूप निकल रहा है उसे भी समझने में सहायता मिली।

यद्यपि दूसरों ने इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया परन्तु मूल कार्य जिस से कि सारा निर्णय होना था मुख्य युद्ध-रत पक्षों अर्थात् फ्रांस और लोकतन्त्र गण राज्य वियत नाम का ही था। जैसा कि इस सभा में पहले-पहल प्रस्ताव किया गया था और बाद में कोलम्बो में जिसकी पुष्टी कर दी गई थी कुछ बातों के विषय में इन दोनों के बीच सीधी बातचीत अत्यधिक आवश्यक हो गयी थी। फ्रांस के प्रधान मन्त्री, एम० मैन्डस फ्रांस और प्रजातन्त्र गण राज्य वियत नाम के प्रतिनिधियों के हम आभारी हैं कि उन्होंने बड़े साहस तथा दूरदर्शिता से इस कठिन समस्या को हल किया। हिन्द चीन की तीन अन्य सरकारों अर्थात्, कम्बोडिया लाओस तथा वियत-नाम ने भी जिनके प्रतिनिधि सम्मेलन में थे और जो युद्ध में बुरी तरह फंसी हुई थीं समझौते में हिस्सा बटाया। हिन्द-चीन का समझौता वस्तुतः बातचीत से तय हुआ है, क्योंकि विजय युद्ध करनें वालों में से किसी की नहीं, बल्कि शान्ति की हुई है।

विराम संधि समझौता युद्ध लड़ने वाले देशों की जिनकी प्रतिनिधि दो हाई कमान हैं पारस्परिक सहमति पर निर्भर करता है, इसे बनाये रखने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। परन्तु सम्मेलन के आरम्भ से तटस्थ अथवा निष्पक्ष अधीक्षक आयोग के कार्य, कृत्यों, बनावट तथा प्रक्रिया ने विचार-विनिमय को रोक दिया था और सम्मेलन में बहुत समय तक गत्यवरोध पैदा हो गया था। अब जो कृत्य निश्चित हुए हैं उनके विषय में सहमति होने से और पोलैंड, कैनडा और भारत का आयोग बनाने के निश्चय से गत्यवरोध दूर हो गया। भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने हर अवसर पर यह सुझाव दिया कि भारत को आयोग में लिया जाये। अन्ततः भारत को प्रधान बनाना समझौते के लिये आवश्यक हो गया।

भारत ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और न ही उसने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। हमने वस्तुतः यह भी नहीं बताया था कि हम यह

उत्तरदायित्व सम्भालेंगे या नहीं। परन्तु जब यह उत्तरदायित्व हमें सौंपा गया तब हम इसे अस्वीकार न कर सके, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ सारे समझौते को खतरे में डालना होता। अतः हमें यह भारी उत्तरदायित्व सम्भालना होगा।

हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सहकारी मिले हैं और हिन्द-चीन के पक्षों में से हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। अभी तक आयोगों के सब निश्चय सर्वसम्मति से किये गये हैं। इससे भी मिल-जुल कर कार्य करने की सद्भावना का परिचय मिलता है। प्रथम अगस्त को मैंने तीनों सरकारों के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया था ताकि सरकारों द्वारा निश्चित तिथि को आयोग स्थापित हो जायें। इस सम्मेलन न सर्वसम्मति से निश्चय करके बहुत थोड़े समय में वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के राष्ट्रमंडल सचिव श्री एस० दत्त के नेतृत्व में एक अग्रिम दल भेज दिया। दो दिन हुए श्री दत्त तीनों आयोगों की स्थापना के पश्चात् वापस आये हैं। मुझे विश्वास है कि सभा उन्हें अपनी सद्भावना और उनकी सफलता की हार्दिक आशा का आश्वासन दिलाने की इच्छुक होगी।

हिन्द-चीन समझौते की यह उल्लेखनीय विशेषता है कि इस में तीनों राज्यों—वियत-नाम, लाओस और कम्बोडिया—की स्वतन्त्रता की स्थापना का उपबन्ध है और यह एक-दूसरे की अखंडता का आदर करने और एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप न करने की प्रतिज्ञा पर और दूसरे राज्यों से सैनिक संधियां न करने के वचन पर उनकी प्रभता का संरक्षण करना चाहता है इसलिये आशा की जाती है कि हिन्द-चीन के राज्य युद्ध चाहने वालों की गुटबन्दियों में सम्मिलित होने की बजाय सामूहिक शान्ति बढ़ाने का कार्य करेंगे।

हिन्द चीन के लोगों के भूतपूर्व पारस्परिक द्वेष-भाव के होते हुए भी हम हिन्द-चीन के निवासियों को ऐसे कठिन दिनों में अपनी हार्दिक शुभ कामनायें और सद्भावनायें भेजते हैं और आशा करते हैं कि वहां शान्ति, एकता और समृद्धि बढ़ेगी। हिन्द-चीन के समझौते के कारण एशिया में शान्ति और स्थिरता की आशा बढ़ गई है।

श्री चाउ-एन-लाई की दिल्ली यात्रा का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। उनका जो स्वागत हुआ था वह स्वाभाविक था और इससे यह स्पष्ट हो गया था कि हमारे देश की जनता चीन से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है। यह एशिया के दो देशों की जनता की एशियायीपन की भावना का भी द्योतक था। इस यात्रा से दोनों देश एक दूसरे के अधिक निकट आ गये हैं।

इस अवसर पर दोनों प्रधान मन्त्रियों—श्री चाउ-एन-लाई और मैंने जो संयुक्त विज्ञप्ति निकाली थी उसकी ओर सारे संसार का ध्यान आकृष्त हुआ। उसमें जो पांच सिद्धान्त तय किये गये हैं उनका आशय सामूहिक सुरक्षा का वातावरण पैदा करना है। हमारे निकटतम पड़ौसी देश बर्मा ने भी इन्हीं पांच सिद्धान्तों को अपनाया है और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश भी इसका समर्थन करते हैं। हमने जो मैत्री-भाव स्थापित किया है वह किसी अन्य देश अथवा कुछ देशों के गुट के विरोध के लिये नहीं किया गया है। हम आशा करते हैं कि इसमें सामूहिक शान्ति के आदर्श का बीज विद्यमान है और यही युद्ध की तैयारी करके रक्षा करने के लिये कदम उठाने का वैकल्पिक और सही रास्ता है। यही वास्तविक सुरक्षा का ठोस कदम है।

अगले मास के आरम्भ में फिलिपीन के बेगियो नगर में दक्षिण पूर्वी एशिया सामूहिक संघ निर्माण करने के प्रस्तावों पर विचार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करने के लिये एक सभा हो रही है। हमने इसमें भाग लेने में असमर्थता प्रकट कर दी है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्द-चीन के समझौते से उत्पन्न हुई समझौते की भावना की प्रवृत्ति इस सभा से सम्भवतः बदल जायेगी। हमारा विश्वास इस बात में है कि सामूहिक सुरक्षा विश्व के तनावों को दूर करने और सामूहिक शान्ति के आदर्श का विकास करने से होगी। जिस चीज़ से तनाव बढ़ेंगे वह हमें शान्ति से दूर ले जायेगी। अतः हमें भय है कि वर्तमान अवस्था में दक्षिण पूर्वी एशिया सामूहिक संघ भविष्य में कोई लाभ पहुंचाने की अपेक्षा इस समय हानिकारक होगा।

भारत सरकार का विचार है और उसकी यह आशा है कि हिन्द-चीन समझौते के फल-स्वरूप विश्व के तनाव में जो कमी हुई है और अन्य राष्ट्रों ने शान्ति के लिये जो इच्छा प्रकट की है उसे विश्व शान्ति को बढ़ाने और संसार के वर्तमान तनावों को घटाने के लिये प्रयुक्त किया जाये। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के समक्ष, जिसकी बैठक अगले मास हो रही है, यह ऐतिहासिक कार्य है। हम आशा करते हैं कि यह संसार के झगड़ों को सामूहिक शांति द्वारा और न कि भय और युद्ध पर आधारित शान्ति और सुरक्षा की झूठी आशाओं द्वारा हल करने का प्रयत्न करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

शिक्षा-मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : माननीय शिक्षा मन्त्री की ओर से मैं यह वक्तव्य देता हूं।

१४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में नियुक्त मनीपुर निवासी और गैर-मनीपुर निवासी अध्यापकों के वेतन के स्तरों में अन्तर को दूर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी, यह कहा गया था कि यह प्रश्न भी विचाराधीन है। इस विषय में मैं माननीय सदस्यों के मन में गलतफहमी को दूर करना और यह कहना चाहता हूं कि उप-मन्त्री जी का यह आशय था कि मनीपुर के सरकारी हाई स्कूलों के कुछ पदों के वेतन स्तर पड़ोसी राज्य आसाम के उसी श्रेणी के पदों के बराबर करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। राज्य में मनीपुर निवासियों और गैर-मनीपुर निवासियों के वेतन-स्तर में कोई अन्तर नहीं है।

[**पंडित ठाकूर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

खाद्य अपमिश्रण विधेयक

—(जारी)

खण्ड १० खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां

—(जारी)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३७ के पश्चात् निम्न निविष्ट किया जाये—

"(6A) where any action is taken under Sub-sections (i) (a), (2), (4), (5) and (6) the food inspector shall take the signature of not less than too witnesses,"

["(६क) जहां कहीं उप-धारा (१) (क), (२), (४) (५) और (६) के अधीन कोई कार्यवाही की जाये